झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
एल.पी.ए. संख्या .649/2023

---

1. झारखंड राज्य

2. आयुक्त-सह-सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखंड रांची सरकार, जिला-रांची, झारखंड, रांची .... **अपीलकर्ता**

बनाम

1. नंद किशोर सिन्हा

2. (क) बिहार राज्य, सचिव-सह-आयुक्त, जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन, पटना, बिहार के माध्यम से

.... **उत्तरदाता**

कोरम : माननीय श्री न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण कुमार राय

अपीलकर्ताओं के लिए : श्री वंदना सिंह, सीनियर एससी-III
सुश्री अपूर्वा सिंह, एसी से सीनियर एससी-III

उत्तरदाताओं के लिए : श्री एस. पी. रॉय, जीए (बिहार)
श्री रंजीत कुमार, एसी से जीए (बिहार)

07/दिनांक: 18.04.2024

न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद, के अनुसार

1. तत्काल इंट्रा-कोर्ट अपील लेटर्स पेटेंट के खंड-10 के तहत है, जो इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा डब्ल्यू.पी (एस) संख्या 1729/2007 में पारित आदेश/निर्णय दिनांक 17.02.2023 के खिलाफ निर्देशित है, जिसके तहत और जिसके तहत, अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा पारित सजा के आदेश को रद्द करके रिट याचिका की अनुमति दी गई थी।

अंतरवर्ती आवेदन संख्या 3802/2024

2. इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 29.01.2024 को पारित आदेश से ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तरदाताओं को नोटिस जारी किया गया है।

3. दिनांक 24.11.2023 की स्टाम्प रिपोर्ट से यह भी प्रतीत होता है कि कुल मिलाकर 10 दोषों की ओर इशारा किया गया है।

4. यह आगे बताया गया है कि सीमा के बारे में रिपोर्ट दोष संख्या 1 को हटाने के बाद की जाती है, अर्थात, प्रमाणित दायर किया गया है और उसके बाद, कार्यालय द्वारा सीमा के मुद्दे पर विचार किया गया है जो 20.03.2023 को समाप्त हो गया था।

5. कार्यालय ने पृष्ठ संख्या 77 के पीछे की गई गणना के अनुसार 365 दिनों की सीमा को इंगित किया है।

6. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि उस तारीख को जब समन्वय पीठ ने 29.01.2024 को नोटिस जारी किया है, कार्यालय ने सीमा को इंगित नहीं किया है, क्योंकि, प्रमाणित प्रति के कार्यालय द्वारा इंगित किए गए दोष को दायर नहीं किया गया था। तथापि, आक्षेपित आदेश की प्रमाणित प्रति दाखिल करने के संबंध में दोष की सूचना मिली है, तत्पश्चात् कार्यालय द्वारा परिसीमा के मुद्दे पर विचार किया गया है।

7. रिकॉर्ड के अनुसार, देरी की माफी के लिए सीमा याचिका 15.04.2024 को दायर की गई है और जब मामला 16.04.2024 को लिया गया था, तो मामले को 18.04.2024 को सूचीबद्ध करने की मांग की गई है।

8. तदनुसार, मामले को आज, यानी 18.04.2024 को बोर्ड में सूचीबद्ध किया गया है।

9. इस न्यायालय को पूर्वोक्त तथ्य के मद्देनजर, पहले सीमा के मुद्दे से निपटने की आवश्यकता है, जिसके लिए अंतरवर्ती आवेदन किया जा रहा है

अंतरवर्ती अवेदन संख्या 3802/2024 , 365 दिनों की देरी के लिए दायर किया गया है, जिसमें, निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है: -

a. डब्ल्यू.पी (एस) संख्या 1729/2007 में पारित आदेश दिनांक 17.02.2023 को विभाग में पत्र संख्या 3034 दिनांक 13.07.2023 द्वारा प्राप्त हुआ था। इसके प्राप्त होने पर विभागीय अधिकारियों द्वारा मामले पर विचार-विमर्श किया गया और 16.08.2023 को फाइल को अपील दायर करने के बिंदु पर राय प्राप्त करने के लिए विद्वान महाधिवक्ता के कार्यालय को भेजा गया जिसे 17.08.2023 को वापस कर दिया गया।

b. 23.08.2023 को अपील के आधार तैयार करने के लिए केस फाइल विभागीय अनुचर को भेजी गई थी। अपील के आधार तैयार किए गए और 04.09.2023 को इसे विभागीय सचिव के अनुमोदन के लिए रखा गया। इसके बाद, 03.10.2023 को, अपील के आधार के साथ संचालन वकील से परामर्श किया गया और उसके बाद, अपील के ज्ञापन की तैयारी में कुछ समय लगा और 09.11.2023 को, अपील के ज्ञापन का अंतिम मसौदा तैयार किया गया, उसके बाद, 10.11.2023 को, प्रतिवादी को न्यायालय के समक्ष अपील दायर करने के लिए अधिकृत किया गया।

c. दिनांक 06.12.2023 के पत्र के माध्यम से, विद्वान संचालन वकील ने आक्षेपित आदेश की प्रमाणित प्रति की आवश्यकता और अन्य दोषों को दूर करने के संबंध में विभाग को सूचित किया और इस प्रकार, निर्णय दिनांक 17.02.2023 की प्रमाणित प्रति प्राप्त की गई और 19.03.2024 को दायर की गई।

10. तत्काल अपील 365 दिनों की अत्यधिक देरी से वर्जित है, इसलिए, उपरोक्त देरी को माफ करने के लिए एक आवेदन अंतरवर्ती आवेदन संख्या 3802/2024 दायर किया गया है।

11. इस न्यायालय ने, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि

365 दिनों की अत्यधिक देरी के बाद तत्काल इंट्रा-कोर्ट अपील दायर की गई है, यह उचित और उचित है, योग्यता के आधार पर आक्षेपित आदेश की वैधता और औचित्य में जाने से पहले देरी माफी आवेदन पर विचार करने के लिए।

12. विलंब की माफी का आधार तत्काल अंतरवर्ती आवेदन में की गई दलील के अनुसार लिया गया है कि डब्ल्यूपी (एस) संख्या 1729/2007 में पारित आदेश दिनांक 17.02.2023 को विभाग में 25.07.2023 को पत्र संख्या 3034 दिनांक 13.07.2023 द्वारा प्राप्त हुआ था।

13. इसके प्राप्त होने पर विभागीय अधिकारियों द्वारा मामले पर विचार-विमर्श किया गया और 16.08.2023 को फाइल को अपील दायर करने के बिंदु पर राय प्राप्त करने के लिए विद्वान महाधिवक्ता के कार्यालय को भेजा गया जिसे 17.08.2023 को वापस कर दिया गया।

14. इसके बाद 23.08.2023 को अपील के आधार तैयार करने के लिए केस फाइल विभागीय अनुचर को भेजी गई। अपील के आधार तैयार किए गए और 04.09.2023 को इसे विभागीय सचिव के अनुमोदन के लिए रखा गया। इसके बाद, 03.10.2023 को, अपील के आधार के साथ संचालन वकील से परामर्श किया गया और उसके बाद, अपील के ज्ञापन की तैयारी में कुछ समय लगा और 09.11.2023 को, अपील के ज्ञापन का अंतिम मसौदा तैयार किया गया, उसके बाद, 10.11.2023 को, प्रतिवादी को न्यायालय के समक्ष अपील दायर करने के लिए अधिकृत किया गया।

15. दिनांक 06.12.2023 के पत्र के माध्यम से, विद्वान संचालन वकील ने आक्षेपित आदेश की प्रमाणित प्रति की आवश्यकता और अन्य दोषों को दूर करने के संबंध में विभाग को सूचित किया और

इस प्रकार, दिनांक 17.02.2023 के निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त की गई और 19.03.2024 को दायर की गई, जो अपीलकर्ताओं के अनुसार जानबूझकर नहीं बल्कि प्रक्रियात्मक सौदे और अंतिम निर्णय लेने के कारण अपीलकर्ता द्वारा कुछ अतिरिक्त समय लिया गया है।

16. इसलिए, राज्य-अपीलकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ एससी-III ने देरी को माफ करने की प्रार्थना की है और प्रस्तुत किया है कि तत्काल अंतरवर्ती आवेदन में दिया गया कारण देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त है।

17. हमने देरी से माफी आवेदन पर पक्षकारों के विद्वान वकील को सुना है और इस पर विचार करने से पहले, यह न्यायालय कुछ कानूनी प्रस्तावों को संदर्भित करना उचित समझता है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अत्यधिक देरी को माफ करने में न्यायालय के दृष्टिकोण के संबंध में प्रतिपादित किया गया है।

18. इस तथ्य के बारे में कोई विवाद नहीं है कि आम तौर पर *लिस* को सीमा के तकनीकी आधार पर खारिज नहीं किया जाना है, लेकिन निश्चित रूप से अगर अपील दायर करने में अत्यधिक देरी होती है, तो न्यायालय का कर्तव्य है कि वह लिसिस की योग्यता में प्रवेश करने से पहले देरी को माफ करने के लिए आवेदन पर विचार करे।

19. यह यहां उल्लेख करने की आवश्यकता है कि सीमा का कानून कानूनी कहावत इंटरेस्ट *रीपब्लिके यूटी सिट फिनिस लिटियम में निहित है* (यह सामान्य कल्याण के लिए है कि एक अवधि को मुकदमेबाजी में रखा जाए)। सीमा के नियम पार्टियों के अधिकारों को नष्ट करने के लिए नहीं हैं, बल्कि विचार यह है कि हर कानूनी उपाय को विधायी रूप से निश्चित अवधि के लिए जीवित रखा जाना चाहिए, जैसा कि बृजेश कुमार और अन्य बनाम हरियाणा राज्य (2014) 11 एससीसी 351 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय

द्वारा दिए गए निर्णय में आयोजित किया गया ***है।***

20. प्रिवी काउंसिल इन ***जनरल एक्सीडेंट फायर एंड लाइफ एश्योरेंस कॉर्प लिमिटेड बनाम जनमोहम्मद अब्दुल रहीम, (1939-40)***

67 आईए 416, टैगोर लॉ लेक्चरर्स, 1932 में श्री मित्रा के लेखन पर भरोसा करता है, जिसमें, यह कहा गया है कि:

> *"सीमा और* सुखाधिकार पाने *का कानून किसी विशेष मामले में कठोर और अन्यायपूर्ण रूप से संचालित हो सकता है, लेकिन यदि कानून एक सीमा प्रदान करता है, तो इसे किसी विशेष पार्टी के लिए कठिनाई के जोखिम पर भी लागू किया जाना चाहिए क्योंकि न्यायाधीश, न्यायसंगत आधार पर, कानून द्वारा अनुमत समय को बढ़ा नहीं सकता है, इसके संचालन को स्थगित कर सकता है, या कानून द्वारा मान्यता प्राप्त अपवादों का परिचय दें।*

21. पीके रामचंद्रन बनाम केरल राज्य, (1997) 7 एससीसी 556 ***में***, सर्वोच्च न्यायालय ने एक मामले में 565 दिन के बिलम्ब के माफ़ी पर विचार करते हुए, जिसमें विलंब की क्षमा के लिए कोई उचित या संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था:

इसके पैरा 6 में निम्नानुसार अवधारित किया है -

> *"6. परिसीमा का कानून किसी विशेष पक्ष को कठोर रूप से प्रभावित कर सकता है, लेकिन इसे अपनी पूरी कठोरता के साथ लागू किया जाना चाहिए जब क़ानून ऐसा निर्धारित करता है और न्यायालयों के पास न्यायसंगत आधार पर सीमा की अवधि बढ़ाने की कोई शक्ति नहीं है।"*

22. इसी तरह के मुद्दे पर विचार करते हुए, ईशा ***भट्टाचार्जी बनाम रघुनाथपुर नफर अकादमी, (2013) 12 एससीसी 649 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने*** कहा, जिसमें, यह

निम्नानुसार आयोजित किया गया है:

> *"21.5 (v) देरी की माफी मांगने वाले पक्ष के लिए आरोपित सदाशयता का अभाव एक महत्वपूर्ण और प्रासंगिक तथ्य है।*
>
> *21.7. (vii) उदार दृष्टिकोण की अवधारणा को तर्कसंगतता* के दृष्टि कोण में समाहित करना है
>
> *और इसे पूरी तरह से निरंकुश मुक्त खेल की अनुमति नहीं दी जा सकती है।*
>
> *21.9. (ix) किसी पार्टी का आचरण, व्यवहार और उसकी निष्क्रियता या लापरवाही से संबंधित रवैया प्रासंगिक कारक हैं जिन्हें ध्यान में रखा जाना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मूल सिद्धांत यह है कि न्यायालयों को दोनों पक्षों के संबंध में न्याय संतुलन के पैमाने को तौलना आवश्यक है और उदार दृष्टिकोण के नाम पर उक्त सिद्धांत को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।*
>
> *22.4. (डी) देरी को एक गैर-गंभीर मामले के रूप में देखने की बढ़ती प्रवृत्ति और इसलिए, अभावपूर्ण प्रवृत्ति को एक बेपरवाह तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है, निश्चित रूप से, कानूनी मापदंडों के भीतर अंकुश लगाने की आवश्यकता है।*

कानून की यह स्थापित स्थिति है कि जब कोई वादी सदाशयी उद्देश्य से कार्य नहीं करता है और साथ ही, निष्क्रियता और अपनी ओर से कमी के कारण, अपील दायर करने की सीमा की अवधि समाप्त हो जाती है, तो वास्तविक उद्देश्य की कमी और घोर निष्क्रियता और लापरवाही ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं जिन्हें विलंब की माफी के प्रश्न पर विचार करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस संबंध में गुजरात राज्य में गुजरात उच्च न्यायालय की

डिवीजन बेंच द्वारा ***सचिव और अन्य बनाम कनुभाई कांतिलाल राणा, 2013 एससीसी ऑनलाइन गुजरात 4202*** के माध्यम से दिए गए निर्णय का संदर्भ दिया जा सकता है, जिसमें, पैराग्राफ -17 में, यह माना गया है कि "कानून ने अपील को प्राथमिकता देने के लिए 30 दिनों की सीमा की एक निश्चित अवधि निर्धारित की है, सरकार परिसीमा की अवधि के प्रावधानों की अनदेखी नहीं कर सकती क्योंकि विधायिका की यह मंशा कभी नहीं थी कि वहां जब सरकार अपीलकर्ता हो तो सीमा की एक अलग अवधि होनी चाहिए।

23. पोस्ट मास्टर जनरल और अन्य बनाम लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड और अन्य, [(2012) 3 एससीसी 563] ***के मामले में,*** यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पैराग्राफ 27 से 29 पर निम्नानुसार आयोजित किया गया है:

> *"**27.** यह विवाद में नहीं है कि संबंधित व्यक्ति इस न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका दायर करने के माध्यम से मामले को लेने के लिए सीमा की निर्धारित अवधि सहित शामिल मुद्दों से अच्छी तरह से अवगत या परिचित थे। वे यह दावा नहीं कर सकते कि उनके पास सीमा की एक अलग अवधि है जब विभाग के पास अदालत की कार्यवाही से परिचित सक्षम व्यक्ति थे। प्रशंसनीय और स्वीकार्य स्पष्टीकरण के अभाव में, हम यह प्रश्न उठा रहे हैं कि विलंब को यांत्रिक रूप से केवल इसलिए माफ क्यों किया जाना चाहिए क्योंकि सरकार या सरकार का एक स्कंध हमारे समक्ष एक पक्ष है।*
>
> *28. यद्यपि हम इस तथ्य से अवगत हैं कि विलंब की माफी के मामले में जब कोई घोर लापरवाही या जानबूझकर निष्क्रियता या सदाशयता की कमी नहीं थी, पर्याप्त न्याय को आगे बढ़ाने के लिए एक उदार रियायत को अपनाया जाना चाहिए, हमारा विचार है कि तथ्यों और परिस्थितियों*

में, विभाग पहले के विभिन्न निर्णयों का लाभ नहीं उठा सकता है। आधुनिक प्रौद्योगिकियों के उपयोग और उपलब्ध होने के मद्देनजर अवैयक्तिक मशीनरी और विरासत में मिली नौकरशाही पद्धति के कारण कई नोट बनाने के दावे को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। परिसीमा का कानून निस्संदेह सरकार सहित सभी को बाध्य करता है।

29. हमारे विचार में, सभी सरकारी निकायों, उनकी एजेंसियों और संस्थाओं को सूचित करने का यह सही समय है कि जब तक उनके पास देरी के लिए उचित और स्वीकार्य स्पष्टीकरण नहीं है और वास्तविक प्रयास नहीं किए गए हैं, तब तक इसे स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

सामान्य स्पष्टीकरण कि प्रक्रिया में प्रक्रियात्मक लालफीताशाही की काफी डिग्री के कारण फाइल को कई महीनों/वर्षों तक लंबित रखा गया था। सरकारी विभागों पर यह सुनिश्चित करने का विशेष दायित्व है कि वे अपने कर्तव्यों का पालन परिश्रम और प्रतिबद्धता के साथ करें। देरी की माफी एक अपवाद है और इसे सरकारी विभागों के लिए प्रत्याशित लाभ के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। कानून सभी को एक ही रोशनी में आश्रय देता है और कुछ लोगों के लाभ के लिए इसे घुमाया नहीं जाना चाहिए।

24. इसी तरह, माननीय सर्वोच्च न्यायालय नें मध्य प्रदेश राज्य ***और अन्य बनाम चैतराम मेवाड़े, [(2020) 10 एससीसी 667]*** में, पोस्ट मास्टर जनरल और अन्य बनाम लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड और अन्य ***में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का उल्लेख करने के बाद।***, (सुप्रा) पैराग्राफ 1 से 5 में आयोजित किया गया है:

"1.मध्य प्रदेश राज्य बार-बार एक ही काम करता रहता है और आचरण असुधार्य प्रतीत होता है। विशेष अनुमति याचिका 588 दिनों की देरी के बाद दायर की गई है। हमें मध्य प्रदेश राज्य द्वारा राज्य में अपील दायर करने में इस प्रकार की असाधारण देरी से निपटने का अवसर मिला था।

एम.पी. बनाम भेरूलाल [मध्य प्रदेश राज्य बनाम भेरूलाल, (2020) 10 एससीसी 654] हमारे आदेश दिनांक 15-10-2020 के संदर्भ में।

2.हमने उस मामले में एक विस्तृत आदेश दिया है और हमें उसी तर्क को फिर से दोहराने का कोई उद्देश्य नहीं दिखता है, सिवाय उन तथ्यों को रिकॉर्ड करने के जो उन तथ्यों को दर्ज करते हैं जिन पर देरी को माफ करने की मांग की गई है। 5-1-2019 को, यह कहा जाता है कि 13-11-2018 को दिए गए निर्णय के संबंध में सरकारी वकील से संपर्क किया गया था [चैतराम मयवाडे बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 2018 एससीसी ऑनलाइन एचपी 1632] और कानून विभाग ने अनुमति दी

आक्षेपित आदेश के खिलाफ एसएलपी दायर करना 26-5-2020 को। इस तरह विधि विभाग ने यह फैसला करने में करीब 17 महीने का समय लिया कि एसएलपी दायर की जानी है या नहीं। विधि विभाग के लिए अक्षमता का इससे बड़ा प्रमाण पत्र क्या होगा।

3. *हम मध्य प्रदेश राज्य के मुख्य सचिव को विधि विभाग के पुनर्गठन के पहलू पर गौर करने का निर्देश देना उचित समझते हैं क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि विभाग किसी भी उचित अवधि के भीतर अपील दायर करने में असमर्थ है, बहुत कम समय सीमा के भीतर। इस प्रकार के बहाने, जैसा कि पूर्वोक्त आदेश में पहले ही दर्ज किया जा चुका है, पोस्टमास्टर जनरल बनाम लिविंग मीडिया (इंडिया) लिमिटेड [पोस्टमास्टर जनरल बनाम लिविंग मीडिया (इंडिया)*

लिमिटेड, (2012) 3 एससीसी 563: (2012) 2

एससीसी (सीआईवी) 327: (2012) 2 एससीसी (सीआरआई) 580: (2012) 1 एससीसी (एल एंड एस) 649]

4. *हमने अपनी चिंता भी व्यक्त की है कि इस प्रकार के मामले केवल "प्रमाण पत्र मामले" हैं ताकि इस मुद्दे को शांत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से बर्खास्तगी का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सके। उद्देश्य उन अधिकारियों की त्वचा को बचाने के लिए है जो डिफ़ॉल्ट हो सकते हैं। हमने उस स्थिति की विडंबना को भी दर्ज किया है जहां उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है जो इन फाइलों को दबाकर रखते हैं और कुछ नहीं करते हैं।*

5. *देरी की अवधि और जिस आकस्मिक तरीके से आवेदन को लिखा गया है, उसमें शामिल न्यायिक समय की बर्बादी को देखते हुए, हम याचिकाकर्ता राज्य पर मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति के साथ जमा करने के लिए 35,000 रुपये का जुर्माना लगाते हैं। यह राशि चार सप्ताह के भीतर जमा की जाए। फाइल दाखिल करने और फाइलों पर बैठने में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारी (अधिकारियों) से राशि वसूल की जाए और उक्त राशि की वसूली का प्रमाण पत्र भी उक्त अवधि के भीतर इस न्यायालय में दायर किया जाए।*

समय। हमने डिप्टी एडवोकेट जनरल को चेतावनी दी है कि इस तरह के किसी भी क्रमिक मामलों के लिए लागत बढ़ती रहेगी।

25. रामलाल, मोतीलाल और छोटेलाल ***और अन्य*** बनाम ***रीवा कोलफील्ड्स लिमिटेड, (1962) 2 एससीआर 762 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में*** माना है कि केवल इसलिए कि दिए गए मामले के तथ्यों में पर्याप्त कारण बताए गए हैं,

अपीलकर्ता को देरी को माफ करने का कोई अधिकार नहीं है। पैराग्राफ -12 में, यह निम्नानुसार आयोजित किया गया है: -

> *"**12.** तथापि, इस बात पर जोर देना आवश्यक है कि पर्याप्त कारण दिखाए जाने के बाद भी एक पक्ष अधिकार के रूप में प्रश्न में विलंब की माफी का हकदार नहीं है। पर्याप्त कारण का प्रमाण धारा 5 द्वारा न्यायालय में निहित विवेकाधीन क्षेत्राधिकार के प्रयोग के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त है। यदि पर्याप्त कारण साबित नहीं होता है तो आगे कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए; विलंब को क्षमा करने के आवेदन को केवल इसी आधार पर खारिज किया जाना चाहिए। यदि पर्याप्त कारण दिखाया जाता है तो अदालत को यह जांच करनी होगी कि क्या उसे अपने विवेक से देरी को माफ करना चाहिए। मामले का यह पहलू स्वाभाविक रूप से सभी प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करने का परिचय देता है और यह इस स्तर पर है कि पार्टी या उसकी सदाशयता का परिश्रम विचार के लिए गिर सकता है; लेकिन पर्याप्त कारण दिखाए जाने के बाद विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करते समय जांच का दायरा स्वाभाविक रूप से केवल ऐसे तथ्यों तक सीमित होगा जिन्हें न्यायालय प्रासंगिक मान सकता है। यह इस जांच को सही नहीं ठहरा सकती कि पार्टी अपने पास उपलब्ध हर समय निष्क्रिय क्यों बैठी रही। इस संबंध में हम यह इंगित कर सकते हैं कि जब न्यायालय परिसीमा अधिनियम की धारा 14 के तहत किए गए आवेदनों पर विचार कर रहा होता है तो सदाशयता या उचित परिश्रम के विचार हमेशा भौतिक और प्रासंगिक होते हैं। ऐसे आवेदनों से निपटने में अदालत को विचार करने के लिए कहा जाता है*

धारा 5 और 14 के संयुक्त प्रावधानों का प्रभाव। इसलिए, हमारी राय में, जिन विचारों को धारा 14 के प्रावधानों द्वारा स्पष्ट रूप से भौतिक और प्रासंगिक बनाया गया है, उन्हें उसी हद तक और उसी तरीके से उन आवेदनों से निपटने में लागू नहीं किया जा सकता है जो धारा 14 के संदर्भ के बिना केवल धारा 5 के तहत तय किए जाते हैं। वर्तमान मामले में यह मानने में कोई कठिनाई नहीं है कि अपीलकर्ता के पक्ष में विवेक का प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि परिसीमा की अवधि के दौरान अपीलकर्ता की परिश्रम की कमी के खिलाफ की गई सामान्य आलोचना के अलावा इसके खिलाफ कोई अन्य तथ्य नहीं दिया गया था। वास्तव में, जैसा कि हमने पहले ही बताया है, विद्वान न्यायिक आयुक्त ने अपीलकर्ता के आवेदन को केवल इस आधार पर देरी के लिए माफी के लिए खारिज कर दिया कि निर्धारित अवधि के भीतर जितनी जल्दी हो सके अपील दायर करना अपीलकर्ता का कर्तव्य था, और हमारी राय में, यह एक वैध आधार नहीं है।

26. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि विलंब माफी आवेदन पर विचार करते समय, न्यायालय को विलंब की माफी के लिए पर्याप्त कारण पर विचार करने की आवश्यकता होती है और वादी के दृष्टिकोण पर भी विचार करना आवश्यक है कि क्या यह सदाशयी है या नहीं क्योंकि सीमा की अवधि समाप्त होने के बाद, दूसरे पक्ष के पक्ष में एक अधिकार अर्जित होता है और इस तरह, वादी के वास्तविक उद्देश्य पर गौर करना आवश्यक है और साथ ही, निष्क्रियता और उसकी ओर से कमी के कारण।

27. इसमें यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि 'पर्याप्त कारण' का अर्थ क्या है। 'पर्याप्त कारण' के अर्थ पर विचार ***बसवराज और अन्य बनाम विशेष भूमि अधिग्रहण***

अधिकारी, [(2013) 14 एससीसी 81] में किया गया है, जिसमें, यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पैराग्राफ 9 से 15 में आयोजित किया गया है: -

> ***9.*** *पर्याप्त कारण वह कारण है जिसके लिए प्रतिवादी को उसकी अनुपस्थिति के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। "पर्याप्त" शब्द का अर्थ "पर्याप्त" या "पर्याप्त" है, जितना कि इच्छित उद्देश्य का उत्तर देने के लिए आवश्यक हो सकता है। इसलिए, शब्द (साधारण बात)"पर्याप्त" उस से अधिक नहीं गले लगाता है जो एक प्लैटिट्यूड प्रदान करता है, जो जब किया गया कार्य किसी मामले में मौजूद तथ्यों और परिस्थितियों में इच्छित उद्देश्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त होता है, तो एक सतर्क व्यक्ति के उचित मानक के दृष्टिकोण से विधिवत जांच की जाती है। इस संदर्भ में, "पर्याप्त कारण" का अर्थ है कि पार्टी को लापरवाही से काम नहीं करना चाहिए था या किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए उसकी ओर से सदाशयता की कमी थी या यह आरोप नहीं लगाया जा सकता है कि पार्टी ने "लगन से काम नहीं किया है" या "निष्क्रिय रहा"। हालांकि, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को संबंधित अदालत को इस कारण से विवेक का प्रयोग करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त आधार देना चाहिए कि जब भी अदालत विवेक का प्रयोग करती है, तो इसे विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग करना पड़ता है। आवेदक को अदालत को संतुष्ट करना चाहिए कि उसे अपने मामले पर मुकदमा चलाने से किसी भी "पर्याप्त कारण" से रोका गया था, और जब तक एक संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है, अदालत को देरी की माफी के लिए आवेदन की अनुमति नहीं देनी चाहिए। अदालत को यह जांचना*

होगा कि क्या गलती वास्तविक है या केवल एक गुप्त उद्देश्य को कवर करने के लिए एक उपकरण था। (देखें मणींद्र लैंड एंड बिल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम भूतनाथ बनर्जी [एआईआर 1964 एससी 1336], माता दीन बनाम ए नारायणन [(1969) 2 एससीसी 770: एआईआर 1970 एससी 1953]

, परिमल वी। वीणा [(2011) 3 एससीसी 545: (2011) 2 (क) क्या यह सच है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने एससीसी (सीआईवी) 1 एआईआर 2011 एससी 1150 और मणिबेन देवराज शाह बनाम नगर निगम लिमिटेड (सिवि) के मामले में दिनांक 10-11-2010 के अपने आदेश में यह उल्लेख किया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय में दिनांक 10-11-2010 के आदेश के माध्यम से दिनांक 1 (क) वर्ष 2012-13 के दौरान मुम्बई में रहने वाले लोगों की संख्या [(2012) 5 एससीसी 157 (2012) 3 एससीसी (सीआईवी) 24

: एआईआर 2012 एससी 1629] .)

10. *अर्जुन सिंह बनाम मोहिंद्रा कुमार [एआईआर 1964 एससी 993] में इस न्यायालय ने "अच्छे कारण" और "पर्याप्त कारण" के बीच अंतर को समझाया और कहा*

कि प्रत्येक "पर्याप्त कारण" एक अच्छा कारण है और इसके विपरीत। हालांकि, यदि कोई अंतर मौजूद है, तो यह केवल यह हो सकता है कि अच्छे कारण की आवश्यकता का अनुपालन "पर्याप्त कारण" की तुलना में कम प्रमाण पर किया जाता है।

11. *अभिव्यक्ति "पर्याप्त कारण" को यह सुनिश्चित करने के*

लिए एक उदार व्याख्या दी जानी चाहिए कि पर्याप्त न्याय किया जाता है, लेकिन केवल तब तक जब तक लापरवाही, निष्क्रियता या सदाशयता की कमी संबंधित पक्ष पर आरोपित नहीं की जा सकती है, चाहे पर्याप्त कारण प्रस्तुत किया गया हो या नहीं, किसी विशेष मामले के तथ्यों पर निर्णय लिया जा सकता है और कोई स्ट्रेटजैकेट (सीधा साधा) *फॉर्मूला नहीं है संभव। (मदनलाल बनाम श्यामलाल [(2002) 1 एससीसी 535: एआईआर 2002 एससी 100] और राम नाथ साव बनाम गोबर्धन साव [(2002) 3 एससीसी 195: एआईआर 2002 एससी 1201] के माध्यम से।*

12. यह एक स्थापित कानूनी प्रस्ताव है कि परिसीमा का कानून किसी विशेष पक्ष को कठोर रूप से प्रभावित कर सकता है, लेकिन जब क़ानून ऐसा निर्धारित करता है तो इसे पूरी कठोरता के साथ लागू किया जाना चाहिए। न्यायालय के पास न्यायसंगत आधार पर सीमा की अवधि बढ़ाने की कोई शक्ति नहीं है। "एक वैधानिक प्रावधान से बहने वाला परिणाम कभी भी एक बुराई नहीं है। एक अदालत के पास उस प्रावधान को नजरअंदाज करने की कोई शक्ति नहीं है जिसे वह अपने संचालन से उत्पन्न संकट मानता है। वैधानिक प्रावधान किसी विशेष पक्ष को कठिनाई या असुविधा का कारण बन सकता है लेकिन अदालत के पास इसे पूर्ण प्रभाव देते हुए इसे लागू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कानूनी कहावत ड्यूरा लेक्स सेड लेक्स जिसका अर्थ है "कानून कठिन है लेकिन यह कानून है", ऐसी स्थिति में आकर्षित होता है। यह लगातार माना गया है कि, "असुविधा एक निर्णायक कारक नहीं है" जिस पर एक क़ानून की व्याख्या करते समय विचार किया

जाना चाहिए।

13. सीमा का क़ानून सार्वजनिक नीति पर स्थापित किया गया है, इसका उद्देश्य समुदाय में शांति को सुरक्षित करना, धोखाधड़ी और झूठी गवाही को दबाना, परिश्रम को तेज करना और उत्पीड़न को रोकना है। यह अतीत के उन सभी कृत्यों को दफनाने का प्रयास करता है जो नहीं हैं अस्पष्ट रूप से उत्तेजित हो गए हैं और समय बीतने के बाद से बासी हो गए हैं। इंग्लैंड के हाल्सबरी के नियमों के अनुसार, वॉल्यूम P266।

"605. परिसीमा अधिनियमों की नीति- न्यायालयों ने सीमाओं की विधियों के अस्तित्व का समर्थन करने वाले कम से कम तीन अलग-अलग कारण व्यक्त किए हैं, अर्थात्, (1) कि लंबे समय से निष्क्रिय दावों में न्याय की तुलना में क्रूरता अधिक है, (2) कि एक प्रतिवादी ने एक बासी दावे का खंडन करने के लिए सबूत खो दिया है, और (3) कार्यों के अच्छे कारणों वाले व्यक्तियों को उचित परिश्रम के साथ उनका पीछा करना चाहिए।

एक असीमित सीमा असुरक्षा और अनिश्चितता की भावना को जन्म देगी, और इसलिए, सीमा अशांति या वंचित होने से रोकती है जो लंबे समय तक आनंद से इक्विटी और न्याय में हासिल की जा सकती है या जो किसी पार्टी की अपनी निष्क्रियता, लापरवाही या लापरवाही से खो सकती है। (देखें पोपट और कोटेचा प्रॉपर्टी बनाम एसबीआई स्टाफ एसोसिएशन [(2005) 7 एससीसी 510], राजेंद्र सिंह बनाम सांता सिंह [(1973) 2 एससीसी 705: एआईआर 1973 एससी 2537] और पुंडलिक जालम पाटिल बनाम जलगांव मध्यम परियोजना [(2008) 17 एससीसी 448 : (2009) 5 एससीसी (सीआईवी) 907]।

14. पी में। रामचंद्र राव वि. कर्नाटक राज्य [(2002) 4 एससीसी 578: 2002 एससीसी (सीआरआई) 830 : एआईआर 2002 एससी 1856] इस न्यायालय ने माना कि न्यायिक रूप से सीमा के सिद्धांतों को लागू करना कानून बनाने के बराबर है और अब्दुल रहमान अंतुले बनाम आरएस नायक [(1992) 1 एससीसी 225: 1992 में संविधान पीठ द्वारा निर्धारित कानून के सामने उड़ जाएगा एससीसी (सीआरआई) 93: एआईआर 1992 एससी 1701]

15. इस मुद्दे पर कानून को संक्षेप में इस आशय से प्रस्तुत किया जा सकता है कि जहां एक मामला सीमा से परे अदालत में प्रस्तुत किया गया है, आवेदक को अदालत को यह बताना होगा कि "पर्याप्त कारण" क्या था जिसका अर्थ है एक पर्याप्त और पर्याप्त कारण जिसने उसे सीमा के भीतर अदालत से संपर्क करने से रोका। यदि कोई पक्ष लापरवाह पाया जाता है, या

मामले में तथ्यों और कानून के उच्च और/या तर्कसंगत बिंदु शामिल हैं, जिससे उस पार्टी को भारी नुकसान और अपूरणीय क्षति होती है, जिसके खिलाफ लिस समाप्त हो जाता है, या तो डिफ़ॉल्ट रूप से या निष्क्रियता से और योग्यता के आधार पर निर्णय लेने के लिए ऐसी पार्टी के मूल्यवान अधिकार को हराना। मामले पर विचार करते समय, अदालतों को उस आदेश के परिणामी प्रभाव के बीच संतुलन बनाना होगा जो वह किसी भी तरह से पक्षों को पारित करने जा रहा है मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उसकी ओर से सदाशयता की कमी के कारण, या यह पाया गया कि उसने लगन से काम नहीं किया है या निष्क्रिय रहा है, देरी को माफ करने के लिए एक उचित आधार नहीं हो सकता है। किसी भी अदालत द्वारा कोई

भी शर्त लगाकर इस तरह के असाधारण विलंब को माफ करने का कोई औचित्य नहीं ठहराया जा सकता है। आवेदन पर विलंब की क्षमा के संबंध में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित मापदंडों के भीतर ही निर्णय लिया जाना है। यदि किसी वादी को बिना किसी औचित्य के देरी को माफ करने के लिए समय पर अदालत जाने से रोकने के लिए पर्याप्त कारण नहीं था, तो कोई भी शर्त लगाना, वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला आदेश पारित करने के समान है और यह विधायिका की अवहेलना दिखाने के समान है।

28.इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि पर्याप्त कारण का अर्थ है कि पार्टी को लापरवाही से काम नहीं करना चाहिए था या किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए उसकी ओर से सदाशयता की कमी थी या यह आरोप नहीं लगाया जा सकता है कि पार्टी ने "जानबूझकर कार्य नहीं किया है" या "निष्क्रिय रहा"। हालांकि, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को संबंधित न्यायालय को इस कारण से विवेक का प्रयोग करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त आधार देना चाहिए कि जब भी न्यायालय विवेक का प्रयोग करता है, तो उसे विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग करना पड़ता है। आवेदक को न्यायालय को संतुष्ट करना चाहिए कि उसे अपने मामले पर मुकदमा चलाने से किसी भी "पर्याप्त कारण" से रोका गया था, और जब तक एक संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है, न्यायालय को देरी की माफी के लिए आवेदन की अनुमति नहीं देनी चाहिए। न्यायालय को यह जांचना होगा कि क्या गलती सदाशयी है या केवल गुप्त उद्देश्य को कवर करने के लिए एक उपकरण था जैसा कि ***मनिंद्र लैंड एंड बिल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम भूतनाथ बनर्जी और अन्य, एआईआर 1964 एससी 1336, लाला मातादीन*** *बनाम* ए. नारायणन, (1969) 2 एससीसी 770 ***में आयोजित किया गया है।***

परिमल बनाम वीणा उर्फ़ भारती, (2011) 3 एससीसी 545 और मणिबेन देवराज शाह बनाम बृहन मुंबई नगर निगम, (2012) 5 एससीसी 157.

29. पूर्वोक्त निर्णयों में आगे यह माना गया है कि अभिव्यक्ति 'पर्याप्त कारण' को यह सुनिश्चित करने के लिए एक उदार व्याख्या दी जानी चाहिए कि पर्याप्त न्याय किया जाता है, लेकिन केवल तब तक जब तक लापरवाही, निष्क्रियता या सदाशयता की कमी संबंधित पक्ष पर आरोपित नहीं की जा सकती है, चाहे पर्याप्त कारण प्रस्तुत किया गया हो या नहीं, किसी विशेष मामले के तथ्यों पर निर्णय लिया जा सकता है और कोई सीधा साधा (स्ट्रेटजैकेटस) फॉर्मूला संभव नहीं है, इस संबंध में राम ***नाथ साव*** उर्फ़ ***राम नाथ साहू और अन्य बनाम गोबर्धन साव और अन्य, (2002) 3 एससी 195 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का संदर्भ दिया जा सकता है***, जिसमें, पैराग्राफ -12 में, यह निम्नानुसार आयोजित किया गया है: -

> ***"12.*** *इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि अधिनियम की धारा 5 या संहिता के आदेश 22 नियम 9 या किसी अन्य समान प्रावधान के अर्थ के भीतर अभिव्यक्ति "पर्याप्त कारण" को एक उदार निर्माण प्राप्त करना चाहिए ताकि पर्याप्त न्याय को आगे बढ़ाया जा सके जब कोई लापरवाही या निष्क्रियता या सदाशयता की कमी किसी पार्टी के लिए आरोपित न हो। किसी विशेष मामले में प्रस्तुत स्पष्टीकरण "पर्याप्त कारण" का गठन करेगा या नहीं, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। कदम उठाने में हुई देरी के लिए प्रस्तुत स्पष्टीकरण को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए कोई सीधा साधा (स्ट्रेटजैकेट) फॉर्मूला नहीं हो सकता है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि न्यायालयों को दिखाए गए कारणों में दोष ढूंढने की प्रवृत्ति के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए और निपटान अभियान के अति-उत्साह में एक स्लिपशोड (बेपरवाह) आदेश द्वारा याचिका को खारिज कर देना चाहिए। प्रस्तुत स्पष्टीकरण की स्वीकृति नियम और इनकार होना चाहिए, एक अपवाद, विशेष रूप से तब जब*

कोई लापरवाही या निष्क्रियता या सदाशयता की इच्छा को डिफ़ॉल्ट पक्ष पर आरोपित नहीं किया जा सकता है। दूसरी ओर, मामले पर विचार करते समय अदालतों को इस तथ्य को नहीं भूलना चाहिए कि निर्धारित समय के भीतर कदम नहीं उठाने से दूसरे पक्ष को एक मूल्यवान अधिकार प्राप्त हुआ है, जिसे नियमित तरीके से देरी को माफ करके हल्के ढंग से पराजित नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि, मामले के पांडित्यपूर्ण और हाइपरटेक्निकल दृष्टिकोण को लेने से प्रस्तुत स्पष्टीकरण को अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए जब दांव हैं

30. यह न्यायालय, पूर्वोक्त प्रस्ताव और 365 दिनों की अत्यधिक देरी को माफ करने के लिए देरी माफी आवेदन में प्रस्तुत स्पष्टीकरण पर विचार करने के बाद, यह जांच करने के लिए आगे बढ़ रहा है कि क्या प्रस्तुत स्पष्टीकरण को देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त स्पष्टीकरण कहा जा सकता है।

31. यह ऊपर उल्लिखित निर्णयों से स्पष्ट है, जिसमें, अभिव्यक्ति 'पर्याप्त कारण' से निपटा गया है, जिसका अर्थ है कि पार्टी को लापरवाही से काम नहीं करना चाहिए था या किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए उसकी ओर से सदाशयता की कमी थी या यह आरोप नहीं लगाया जा सकता है कि पार्टी ने "जानबूझकर काम नहीं किया है" या "निष्क्रिय रहा"।

32. जैसा कि प्रस्तुत स्पष्टीकरण से प्रकट होगा, जिसमें, यह कहा गया है कि डब्ल्यू.पी (एस) संख्या 1729/2007 में पारित आदेश दिनांक 17.02.2023 को विभाग में 25.07.2023 को पत्र संख्या 3034 दिनांक 13.07.2023 द्वारा प्राप्त हुआ था।

33. 16.08.2023 को, फाइल अपील दायर करने के बिंदु पर राय प्राप्त करने के लिए विद्वान महाधिवक्ता के कार्यालय को भेजी गई थी जिसे 17.08.2023 को वापस कर दिया गया था।

34. इसके बाद 23.08.2023 को अपील के आधार तैयार करने के लिए केस फाइल

विभागीय अनुचर को भेजी गई। अपील के आधार तैयार किए गए और 04.09.2023 को इसे रखा गया

विभागीय सचिव के अनुमोदन के लिए। इसके बाद, 03.10.2023 को, अपील के आधार के साथ संचालन वकील से परामर्श किया गया और उसके बाद, अपील के ज्ञापन की तैयारी में कुछ समय लगा और 09.11.2023 को, अपील के ज्ञापन का अंतिम मसौदा तैयार किया गया, उसके बाद, 10.11.2023 को, प्रतिवादी को न्यायालय के समक्ष अपील दायर करने के लिए अधिकृत किया गया।

35. दिनांक 06.12.2023 के पत्र के माध्यम से, विद्वान संचालन वकील ने आक्षेपित आदेश की प्रमाणित प्रति की आवश्यकता और अन्य दोषों को दूर करने के संबंध में विभाग को सूचित किया और इस प्रकार, निर्णय दिनांक 17.02.2023 की प्रमाणित प्रति प्राप्त की गई और 19.03.2024 को दायर की गई।

36. पूर्वोक्त स्पष्टीकरण के अनुसार, इसलिए, इस न्यायालय ने राज्य अपीलकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत कारण को एक तालिका से दूसरी तालिका में फाइल के आवागमन के आधार पर पर्याप्त कारण नहीं पाया है।

37. इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि अपील दायर करने में 365 दिनों की देरी को माफ करने के लिए जो कारण सौंपा गया है, उसे देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त स्पष्टीकरण नहीं कहा जा सकता है।

38. इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने

एलपीए संख्या 116/2020 18.07.2023 को देरी माफी आवेदन को खारिज कर दिया क्योंकि देरी को माफ करने के लिए बिना किसी पर्याप्त कारण के लगभग 156 दिनों की देरी के बाद अपील दायर की गई थी।

39. एक अन्य मामले का संदर्भ यहां 2019 के एलपीए संख्या 835 में इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पारित एक आदेश का किया जाना आवश्यक है, जिसमें, 568 **दिन** की देरी को माफ करने का मुद्दा है।

40. इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने राज्य अपीलकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत कारण को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा करके फाइल को एक तालिका से दूसरी तालिका में ले जाने के आधार पर पर्याप्त कारण नहीं पाया है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।

41. राज्य अपीलकर्ता ने 2022 की एसएलपी संख्या 7755 होने के नाते एसएलपी दायर करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय की यात्रा की है और 2019 के एलपीए संख्या 835 में पारित आदेश को चुनौती दी है, लेकिन 2022 की उक्त एसएलपी संख्या 7755 को खारिज कर दिया गया है जैसा कि दिनांक 13.05.2022 के आदेश से प्रकट होगा।

42. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड राज्य द्वारा 28 अप्रैल, 2023 को दायर अपील (सी) संख्या 8378-8379/2023 को खारिज कर दिया है, जो इस न्यायालय द्वारा एल.पी.ए संख्या 99/2021 में पारित आदेश के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने अपील दायर करने में 534 दिनों की देरी के आधार पर उक्त अपील को खारिज कर दिया था।

43. हाल ही में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एसएलपी (सी) डायरी सं (5) संख्या 3188 ऑफ 2024 दिनांक 02.02.2024 को खारिच कर दिया जो झारखंड राज्य द्वारा एल.पी.ए संख्या 401/2022 में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.08.2023 के खिलाफ दायर किया गया था, जिसमें 259 दिनों की देरी को माफ नहीं किया गया था।

44. इस न्यायालय ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत को लागू करते हुए और इस तथ्य पर भी विचार किया कि 365 दिनों की देरी को पर्याप्त रूप से समझाया नहीं गया है और इस तरह, तत्काल वादकालीन आवेदन खारिज किए जाने योग्य है।

45. तदनुसार, बिलम्ब क्षमादान आवेदन मौजूदा अंतरवर्ती आवेदन संख्या 3802/2024 एतद द्वारा खारिच किया जाता है

46. इसके परिणामस्वरूप, तत्काल लेटर्स पेटेंट अपील भी खारिज कर दी जाती है।

(सुजीत नारायण प्रसाद, जे.)

(अरुण कुमार राय, जे.)

रोहित/-**ए.एफ.आर.**

यह अनुवाद शिव बचन यादव, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।

"